

2025/752
23

राजस्व
10/10/25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर
व इजलास- मूदुला शेखावत, आर.ए.एस.



प्रार्थी बनाम

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट 492
प्रकरण संख्या :- 489 /2025

--:आदेश:- दिनांक:-

प्रार्थी पारसराम पुत्र श्री गन्दाराम जाति लोहार निवासी बी.ग्रा.स.नी तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि ग्राम बी.ग्रा.स.नी की जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता सं. 139, 259 में दर्ज अशुद्ध नाम पारसराम पुत्र गन्दाराम जाति लोहार निवासी बी.ग्रा.स.नी का शुद्ध नाम पारसराम पुत्र गन्दाराम जाति लोहार निवासी बी.ग्रा.स.नी की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



मूदुला शेखावत
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

[2025/751]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर
व इजलास- महुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

491

प्रकरण संख्या :- ~~488~~ /2025

-:आदेश:-

दिनांक:-

प्रार्थी ...तुलसी देवी... पुत्र ^{को} शंकरलाल... जाति ...
...शा.ट.... निवासी ...बी.ग्रा.सती... तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज.
ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है।
प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा
ने अवगत करवाया है कि ग्राम बी.ग्रा.सती... की जमाबंदी संवत् 2014-17 के
खाता सं. ...22... में दर्ज अशुद्ध नाम तुलसी देवी पुत्र ^{को} शंकरलाल जाति
...शा.ट.... निवासी ...बी.ग्रा.सती... का शुद्ध नाम तुलसी देवी
...^{को} शंकरलाल जाति शा.ट.... निवासी ...बी.ग्रा.सती... की
राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का
स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है
कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार
होकर दाखिल दफ्तर हो।



महुला शेखावत
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा